उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 37

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		16.94	8487.99	8504.93	13.48	12394.09	12407.57	12.55	13938.20	13950.75
पूंजी		*41.06*	*-4.25*	*36.81*	*31.95*	*68.60*	*100.55*	*37.24*	*4.73*	*41.97*
जोड़		**58.00**	**8483.74**	**8541.74**	**45.43**	**12462.69**	**12508.12**	**49.79**	**13942.93**	**13992.72**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.10	11.65	12.75	1.10	11.84	12.94	0.90	12.76	13.66
खाद्य, भंडार और भांडागारण										
2. खाद्य आर्थिक सहायता	2408	...	8210.00	8210.00	...	12125.00	12125.00	...	13675.00	13675.00
3. खाद्य, भंडार और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00
4. चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य व्यय	2408	2.40	7.72	10.12	0.60	6.73	7.33	0.73	8.20	8.93
	4408	4.25	...	4.25	1.40	...	1.40	0.27	...	0.27
5. चीनी विकास निधि-अन्तरण										
को	2408	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	180.00	180.00
से	2408	...	-12.12	-12.12	...	-9.33	-9.33	...	-9.93	-9.93
	4408	...	-4.25	-4.25	...	-1.40	-1.40	...	-0.27	-0.27
	6860	...	-220.00	-220.00	...	-170.00	-170.00	...	-220.00	-220.00
	निवल	...	*-36.37*	*-36.37*	...	*19.27*	*19.27*	...	*-50.20*	*-50.20*
6. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	3.74	18.72	22.46	3.58	17.83	21.41	4.02	21.15	25.17
	4408	0.64	...	0.64	0.45	...	0.45	0.57	...	0.57
	जोड़	*4.38*	*18.72*	*23.10*	*4.03*	*17.83*	*21.86*	*4.59*	*21.15*	*25.74*
जोड़-खाद्य, भंडार और भांडागारण		**11.03**	**8202.07**	**8213.10**	**6.03**	**12170.83**	**12176.86**	**5.59**	**13655.15**	**13660.74**
नागरिक आपूर्ति										
7. गोदामों के निर्माण के लिए सहायता	3601	6.25	...	6.25	6.25	...	6.25	5.75	...	5.75
	7601	6.25	...	6.25	6.25	...	6.25	5.75	...	5.75
	जोड़	*12.50*	...	*12.50*	*12.50*	...	*12.50*	*11.50*	...	*11.50*
8. जनजातीय क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों/मोबाइल वैनों की खरीद के लिए सहायता	3601	0.65	...	0.65	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	7601	0.65	...	0.65	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	जोड़	*1.30*	...	*1.30*	*0.30*	...	*0.30*	*0.30*	...	*0.30*
9. नागरिक आपूर्ति की अन्य योजनाएं	3456	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
10. खाद्य तेलों के व्यापारिक प्रचालन में एसटीसी को घाटों की प्रतिपूर्ति	3456	...	50.00	50.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
11. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	0.50	...	0.50
जोड़-नागरिक आपूर्ति		**16.60**	**50.00**	**66.60**	**14.60**	**40.00**	**54.60**	**12.80**	**50.00**	**62.80**
उपभोक्ता उद्योग										
12. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	25.57	...	25.57	20.00	...	20.00	27.00	...	27.00
13. उपभोक्ता उद्योग	2852	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
14. चीनी कारखानों की पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण	6860	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	200.00	200.00
15. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**25.57**	**220.02**	**245.59**	**20.00**	**170.02**	**190.02**	**27.00**	**220.02**	**247.02**
16. हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन के लिए ऋण	6860	...	...	...	...	70.00	70.00	...	5.00	5.00
17. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	4552	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70	3.50	...	3.50
कुल जोड़		***58.00***	***8483.74***	***8541.74***	***45.43***	***12462.69***	***12508.12***	***49.79***	***13942.93***	***13992.72***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
12.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	25.57	...	25.57	20.00	...	20.00	27.00	...	27.00
12.02 केन्द्रीय भांडागारण निगम	12408	...	95.00	95.00	...	95.00	95.00	...	71.75	71.75
जोड़		**25.57**	**95.00**	**120.57**	**20.00**	**95.00**	**115.00**	**27.00**	**71.75**	**98.75**

ग. आयोजना परिव्यय										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	0.90	...	0.90
2. खाद्य, भंडार और भांडागारण	12408	40.30	95.00	135.30	29.73	95.00	124.73	36.09	71.75	107.84
3. नागरिक आपूर्ति	13456	16.60	...	16.60	14.60	...	14.60	12.80	...	12.80
जोड़		**58.00**	**95.00**	**153.00**	**45.43**	**95.00**	**140.43**	**49.79**	**71.75**	**121.54**

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, (ii) संकटरोधक भंडारों को रखने की लागत और (iii) लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण। आर्थिक लागत में खरीद मूल्य और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधी आनुषंगिक व्यय आते हैं, जिसमें लाने ले जाने, भंडारण, रख-रखाव, ब्याज प्रभार आदि शामिल हैं।

3. इसके अंतर्गत चीनी के संकटरोधक भंडार बनाए रखने के लिए चीनी के कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए प्रावधान है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

4. यह व्यय चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।

5. चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए चीनी उत्पादन पर पहली जून, 1982 से 5 रुपए प्रति क्विंटल तथा पहली नवम्बर, 1982 से 14 रुपए प्रति क्विंटल उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, चीनी उद्योग के विकास के लिए प्रयोग में लाने के लिए चीनी विकास निधि को, संग्रह की लागत के अनुसार कम करके संग्रहित उपकर के बराबर की राशि को अंतरित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए ऋण, अनुदान देते हुए तथा चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य व्यय की व्यवस्था है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

2001-2002 में निधि (चीनी उपकर) को अंतरण से उत्पन्न अनुमान 180 करोड़ रुपए है। वर्ष 2001-2002 के दौरान इस कोष में से 230.20 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। 229.20 करोड़ रुपए गैर-आयोजना स्कीमों पर तथा 1.00 करोड़ रुपए आयोजना स्कीमों पर व्यय होने हैं।

6. इसमें 'खाद्यान्नों की खरीद पर शेष व्यय', 'प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन', 'अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद)' और 'अन्य योजनाओं' के लिए प्रावधान शामिल है।

7. यह प्रावधान 50:50 आधार पर अनुदानों और ऋणों के रूप में गोदामों के निर्माण हेतु राज्यों को प्रदत्त सहायता के लिए है।

8. यह प्रावधान 50:50 आधार पर अनुदानों और ऋणों के रूप में मोबाइल वैनों की खरीद हेतु राज्यों को प्रदत्त सहायता के लिए है।

9. यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनुसंधान और मॉनीटरिंग से संबंधित स्कीम के लिए है।

10. यह प्रावधान राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आयातित खाद्य तेल के संबंध में इसके व्यापारिक कार्यकलाप में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए है।

11 और 17 यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परियोजनाओ/स्कीमों में निधियों का आवंटन दर्शाता है।

12. इन उद्यमों द्वारा जुटाए जाने वाले इक्विटी और ऋणों तथा आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों का ब्यौरा व्यय बजट खंड I में दिया गया है।

12.1 अगले वर्ष के लिए प्रावधान मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है, यह कार्य प्रगति पर है।

12.2 केन्द्रीय भांडागारण निगम कृषि उत्पादों तथा सहायक सामग्रियों एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों तथा मालगोदामों का निर्माण और अधिग्रहण करता है। यह उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राज्य भांडागारण निगमों की शेयर पूंजी में अंशदान भी देता है। कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है और व्यय की पूर्ति इसके आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी।

13. इसमें अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम की धारा 14 के तहत भुगतान आयुक्त को भुगतान करने का प्रावधान शामिल है।

14. यह व्यय अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की किसी भी फैक्टरी के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है जो चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

15. यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

16. यह प्रावधान स्वैच्छिक वियोजन योजना (वी.एस.एस.) लागू करने पर हुई लागत के खर्च को पूरा करने और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड (एचवीओसी) के कर्मचारियों को वेतन और अन्य देय राशियों का भुगतान करने के लिए है।